रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 764] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2015/चैत्र 20, 1937
No. 764] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2015/CHAITRA 20, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2015

का.आ. 995(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 में,--

(1) नियम 114 में,--

(क) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु किसी आवेदक की दशा में, जो कंपनी है, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन रजिस्ट्रीकृत होना है, कंपनी के निगमन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विहित प्ररुप सं. आईएनसी-7 में स्थायी लेखा संख्यांक के आबंटन के लिए आवेदन करेगी ।";

(ख) उपनियम (4) में,--

(i) आरंभिक भाग में, "उपनियम (1) में उल्लिखित" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात् "[उपनियम (1) के परंतुक में निर्दिष्ट से भिन्न]" शब्द, कोष्ठक और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) सारणी के स्तंभ (4) में,--

(I) क्रम सं. 1 के सामने मद सं. ग के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(ग) जन्म की तारीख का सबूत—

निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रति, यदि उनमें आवेदक का नाम, जन्म की तारीख, मास और वर्ष है :-

(क) नगरपालिक प्राधिकरण या जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार द्वारा जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत कोई कार्यालय या नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (घ) में यथापरिभाषित भारतीय काउंसलेट द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र ; या

(ख) पेंशन संदाय आदेश ; या

(ग) विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र ; या

(घ) मान्यताप्राप्त बोर्ड का मेट्रीकुलेशन प्रमाणपत्र या अंक पत्र ; या

(ङ) पासपोर्ट ; या

(च) चालन प्रमाणपत्र ; या

(छ) सरकार द्वारा जारी अधिवास प्रमाणपत्र ; या

(ज) भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड ; या

(झ) मतदाता फोटो पहचान पत्र ; या

(ञ) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र ; या

(ट) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना फोटो कार्ड या सेवानिवृत्त अभिदायी स्वास्थ्य योजना फोटो कार्ड ; या

(ठ) किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ लिया गया जन्म की तारीख अभिकथित करने वाला शपथ पत्र ।";

(II) क्रम सं. 3 के सामने "कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की प्रति" शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(क) कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की प्रति ; या

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 7 के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा आबंटित कारपोरेट पहचान संख्यांक ।";

(2) नियम 114क के उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु किसी आवेदक की दशा में, जो कंपनी है, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, कंपनी के निगमन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्ररुप सं. आईएनसी-7 में स्थायी लेखा संख्यांक के आबंटन के लिए आवेदन करेगी ।";

[अधिसूचना सं. 38/2015/फा.सं. 142/15/2013-टीपीएल]

गौरव कनौजिया, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ.-969 (अ) तारीख 26 मार्च,1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. का.आ. 915(अ) तारीख 01-04-2015 द्वारा आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 2015 द्वारा उनमें संशोधन किया गया ।